न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी एल0आर0गुगरवाल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः— 33/2016 अपील

उनवान

1.श्री सुगनलाल पिता देवकरण खटीक निवासी तस्वारिया त0 जहाजपुर 2. श्रीमती गुलाबी पत्नि सुगनलाल खटीक निवासी तस्वारिया त0 जहाजपुर जिला भीलवाड़ा	**बनाम**	1. श्री लादूलाल पिता भागुता मीणा निवासी तस्वारिया त0 जहाजपुर 2. श्री ओमप्रकाश पिता सुगनलाल खटीक निवासी तस्वारिया 3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जहाजपुर
—अपीलार्थीगण		**—प्रत्यर्थीगण**

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश तहसीलदार, जहाजपुर बमामले प्र0सं0 1/12(183बी) लादूलाल बनाम सुगनलाल आदेश दिनांक 24.02.2016

उपस्थितः— श्री जे0सी0दाधीच अधि0, अपीलार्थी की ओर से
श्री मनीष कुमार कांटिया अधि0 प्रत्यर्थी सं. 1 की ओर से
विभागीय पैरोकार प्रत्यर्थी सं0 3 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 10—04—2017

अपीलार्थीगण की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत दिनांक 19.08.2016 को प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रत्यर्थी संख्या 01 ने अपने आपको अनुसूचित जन जाति का सदस्य बता एक आवेदन तहसीलदार जहाजपुर के न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि ग्राम तस्वारिया प0म0बावड़ी तहसील जहाजपुर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 650 रकबा 3.02 बीघा भूमि उसके खातेदारी अधिकार की है जिस पर अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अनाधिकृत तौर पर अतिक्रमण कर लिया है । उक्त आवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय आदेश दिनांक 24.02.2016 को पारित किए जाने से अपीलार्थीगण के द्वारा यह अपील प्रस्तुत की जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्य के प्रतिकूल होने से

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय की फर्द अहकाम दिनांक 20.11.2015 को विपक्षी संख्या 2 श्रीमती गुलाबी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया और प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 व 3 की प्रोपर तामील नहीं होने से प्रकरण तामील में ही नियत करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने आगामी पेशी दिनांक 08.12.2015 दी गयी। उक्त दिनांक को अधीनस्थ न्यायालय ने विपक्षी सं0 1 सुगनलाल की तामील हो जाने से उसकी ओर से अधिकार पत्र प्रस्तुत किया जाना और जवाब हेतु अवसर चाहा गया एवं विपक्षी संख्या 03 के विरूद्ध एक पक्षीय आदेश पारित फरमाया गया। आगामी पेशी दिनांक 22.12.2015 नियत की गई। उक्त दिनांक को विपक्षी सं0 1 की ओर से जवाब का अवसर चाहे जाने पर आगामी दिनांक 19.01.2016 दी गयी। उक्त दिनांक को भी जवाब का अवसर चाहे जाने पर आगामी पेशी दिनांक 16.02.2016 नियत की गई। दिनांक 16.02.2016 को विपक्षी संख्या 01 का बिना जवाब लिये ही और फर्द अहकाम पर जवाब के सम्बन्ध में बिना कोई आदेश दिये ही तथा विपक्षी सं0 2 श्रीमती गुलाबी बाई की ओर से पूर्व में प्रस्तुत जवाब के समर्थन में साक्ष्य का अवसर चाहे जाने पर साक्ष्य का अवसर समाप्त कर बहस का अवसर दिये बिना ही प्रकरण वास्ते आदेश दिनांक 24.02.2016 नियत कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में बिना जवाब, बिना साक्ष्य एवं बिना बहस ही आदेश में पेशी नियत कर दी गई। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की पालना नहीं कर प्रकरण में अपीलाधीन आदेश पारित फरमा दिया गया। जिससे विपक्षीगण अपीलार्थी को जवाब, साक्ष्य एवं बहस कोई अवसर प्रदान नहीं करने से विपक्षीगण के साथ घोर अन्याय हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय में विपक्षी संख्या 02 श्रीमती गुलाबी द्वारा जो जवाब प्रस्तुत किया गया उसके साथ ही क्रॉस सूट भी प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार उक्त भूभाग पर कब्जा उनके पूर्वजों के समय से यानि 70 वर्षों से कब्जा चला आ रहा है। उक्त भूमाग को उसके पूर्वजों द्वारा सप्रतिफल राशि 3/-रू0 में खरीद किया गया तथा विगत 40 वर्षों से उक्त खरीदशुदा भूभाग पर पक्के मकानात निर्मित हो रखे हैं। उक्त भू भाग पर गुलाबी के अलावा प्रकाश व राजू का भी कब्जा है। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी लादूलाल द्वारा विगत 1 वर्ष पूर्व कब्जा किये जाने का कथन गलत होकर मिथ्या है। इस प्रकार प्रकरण में अन्य व्यक्ति प्रकाश राजू एवं आ0नं0 650 के अन्य हक व हिस्से के सहखातेदार श्री नानूराम, काना, अम्बालाल इत्यादि प्रकरण में आवश्यक पक्षकार हैं। इत्यादि उजर पत्रावली पर उपलब्ध होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना 'माईण्ड एप्लाई' किये मनमकसूद तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित फरमाया है जो अविलम्ब अपास्त होने योग्य है। प्रत्यर्थी संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थनापत्र में वर्णित किया कि अपीलार्थी ने एक वर्ष पूर्व अनाधिकृत तौर पर कब्जा किया है लेकिन यदि पटवारी की मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया जाय तो उक्त विवादित भूभाग पर मकानात का निर्माण हो रखा है। अपील के साथ प्रस्तुत फोटो एवं दस्तावेजात से यह स्पष्ट होता है और

मौका रिपोर्ट से अपीलार्थी के इस कथन को बल मिलता है कि विवादित भूभाग पर विगत 40 वर्ष पुराने मकानात निर्मित हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में कोई विवेचन किये बिना ही आदेश पारित फरमाया जो कानून सम्मत नहीं होने से अपास्त होने योग्य है। गुलाबी के द्वारा प्रस्तुत 'क्रॉस सूट' का कोई जवाबबुल जवाब भी प्रार्थी प्रत्यर्थी सं0 1 द्वारा प्रस्तुत नहीं हुआ तथा जो साक्ष्य पत्रावली पर आयी उसके रिबटल में कोई साक्ष्य प्रार्थी प्रत्यर्थी सं0 1 की ओर से प्रस्तुत नहीं होने के बावजूद भी अधीनस्थ अदालत द्वारा बिना भारतीय साक्ष्य अधिनियम के विहित प्रावधानों की पालना किये ही आदेश पारित फरमाया है। विधि अनुसार 'समरी प्रोसीडिंग्स' में भी समरी साक्ष्य शपथ-पत्र के माध्यम से साक्ष्य प्रस्तुत करने का प्रावधान है। प्रार्थी प्रत्यर्थी सं0 1 की ओर से अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में कोई साक्ष्य एवं दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी रा0का0अधि0 का विधि अनुसार साबित नहीं होते हुए भी प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश पारित किए जाने में अधीनस्थ न्यायालय ने न केवल विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रिया विधि की उपेक्षा की है बल्कि अपीलाधीन आदेश पारित कर प्राकृतिक न्याय शास्त्र के सिद्धान्तों की भी अवहेलना की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.02.2016 के बाबत काफी समय तक तपास करने पर भी न तो पत्रावली चेम्बर से बाहर आयी और नहीं आदेश टाईप ही करवाया गया । जब पीठासीन अधिकारी जी से सम्पर्क किया गया तो उनके द्वारा अपीलार्थी को यह हिदायत दी गयी की प्रकरण में आदेश टाईप होते ही उनके अधिवक्ता को अवगत करवा दिया जायेगा। अपीलार्थीगण अपने अधिवक्ता को पीठासीन अधिकारी के उक्त कथन के सम्बन्ध में सूचित करने की कह कर अपीलार्थीगण अपने घर चले गये। काफी समय के उपरान्त भी अधिवक्ता द्वारा कोई सूचना नहीं दिये जाने पर अपीलार्थीगण ने अदालत में आ कर अधिवक्ता से सम्पर्क किया जो अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थीगण को कहा कि अदालत द्वारा अभी तक आदेश के बाबत अवगत नहीं करवाया है। इसलिये अदालत से ही जानकारी करनी पड़ेगी और दिनांक 01.08.2016 को अदालत में उपस्थित होकर अपीलाधीन आदेश के बाबत जानकारी चाही गई तो ज्ञात हुआ कि आदेश टाईप हो चुका है लेकिन अदालत द्वारा अधिवक्ता को सहवन से अवगत कराने से रह गया है। इस पर प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया और प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर आदेश की पूर्ण जानकारी हुई और उसी दिन अन्दर मयाद पेश है। फिर भी कानूनी एतराजात को रफा करने हेतु अलग से धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ-पत्र प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलार्थीगण सव्यय स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.02.2016 अपास्त फरमाया जाकर प्रत्यर्थी संख्या 01 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183"बी" रा0का0अधिनियम को खारिज फरमाया जावे तथा विकल्प में यह भी निवेदन है कि प्रकरण

को विधि अनुसार अपीलार्थीगण को जवाब, साक्ष्य एवं बहस का अवसर प्रदान करते हुए निस्तारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पुनः प्रतिप्रेषित/रिमाण्ड फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट्स की ओर से अपील एवं मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के खण्डन में किसी प्रकार का जवाब प्रस्तुत नहीं किया। तत्पश्चात दोनों अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

बहस में वकील अपीलान्ट ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को समुचित सुनवाई का अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। अपीलान्ट को जवाब एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किए बिना ही प्रकरण में विधिवत प्रक्रियाएं पूर्ण नहीं कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत नहीं होने से खारिज योग्य है। अपीलान्ट संख्या 2 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे जवाब के साथ क्रॉस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे निर्णित किए बिना ही विधि विरूद्ध आदेश पारित कर दिया जो खारिज योग्य है। वादग्रस्त भूमि हमारी क्रयशुदा होकर उस पर हमारे मकान आदि बने हुए हैं। टेलीफोन एवं लाईट के बिल प्रस्तुत किए हैं। रेस्पोडेन्ट्स की ओर से अपील के खण्डन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर मौन स्वीकृति प्रदान की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.02.2016को निरस्त फरमा पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड फरमाया जावे।

बहस में वकील रेस्पोडेन्ट्स ने बताया कि अपीलान्ट्स द्वारा नाजायज कब्जा कर लिया गया। भूमि यदि क्रय की गई तो उसके आधार पर राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त करवाना चाहिए परन्तु ऐसा नहीं किया। न ही अपील में उक्त बहनामा की प्रति भी प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को सुना गया । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश की अपीलान्ट सुगनलाल को जानकारी थी फिर भी जान बूझकर गलत तथ्यों के आधार पर यह अपील प्रस्तुत की है जो चलने योग्य नहीं होने से अपील सव्यय खारिज फरमाई जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी तथा अपील मेमों तथा अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण 183 "बी" के तहत प्रस्तुत किया गया। वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेन्ट्स की थी जिस पर अपीलान्ट्स के द्वारा कब्जा कर मकान आदि बना लिए जो विधिविरूद्ध है। जैसाकि स्वयं अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि भूमि उनके द्वारा क्रय की गई थी परन्तु ऐसा कोई दस्तावेज या बहनामा आदि प्रस्तुत नहीं किया। अपीलान्ट जाति से खटीक होकर अनुसूचित जाति की श्रेणी में आते हैं तथा रेस्पोडेन्ट्स जाति से मीणा है जो अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आते हैं जिनकी भूमियों का हस्तान्तरण विधि विरूद्ध संभव नहीं है। अपीलान्ट्स के

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

द्वारा रेस्पोडेन्ट्स की भूमि पर कब्जा कर मकान आदि बना लिए जो नाजायज कब्जे की श्रेणी में आता है इसिलिए रेस्पोडेन्ट के द्वारा 183''बी'' के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण दायर किया गया । प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पक्षकारान को विधिवत सुना जाकर निर्णय पारित किया गया है। जिससे अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। – अतएव

आदेश

अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत यह प्रथम अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत विरूद्ध आदेश तहसीलदार, जहाजपुर बमामले प्रकरण संख्या 1/12 अन्तर्गत धारा 183(बी) आदेश दिनांक 24.02.2016 के कम में अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 10/04/2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/04/17
(एल0आर0गूगरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा